केन्द्रीय विद्यालय संगठन, आगरा संभाग
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, AGRA REGION
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार)
(Under Ministry of HRD, Govt. of India)
ग्रान्ड परेड रोड, आगराछावनीGrand Parede Road, Agra Cantt,
आगरा(उ. प्र.) – 282001 Agra(U. P.) – 282001
www.kvsroagra.org. ☎0562-2225530

पत्रांक:30025-2/2013/केविसं(आ.सं.)/हिन्दी/

दिनांक: 12 .12.2013
तत्काल डाक

सेवा में,
प्राचार्यवृन्द,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
आगरा संभाग।

विषयः–राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का मौके पर जाकर जायजा लेने की दृष्टि से संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय और अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों का किए जाने वाले निरीक्षण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको मालूम है कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करवाने की दृष्टि से संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि का प्रत्यक्ष एवं मौखिक साक्ष्य संबंधी निरीक्षण किया जाता है। कथित समिति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जो प्रसंगाधीन मामले में अपनी सिफारिश / टिप्पणी सीधे राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है। विगत वर्षो में संगठन के कई क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों का संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा मौके पर जाकर राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जा चुका है तथा भविष्य में भी इस समिति द्वारा किसी भी समय किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। अतः हमें ऐसे निरीक्षणों के लिए सदैव तैयार रहना आवश्यक है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपने निरीक्षणों के अवसर पर हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन करते समय प्रायः जिन बिन्दुओं/कार्यो की समीक्षा की जाती है उनका उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न सूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आप विशेष ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि संगठन मुख्यालय एवं इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय–समय पर जो दिशा–निर्देश भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु आपको भेजे जाते हैं, उनका दृढ़ता से अनुपालन किया जाता है तथा संगत दस्तावेज तद्नुसार तैयार किए जाते हैं ताकि भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा उनके समक्ष हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की सही और सुसंगत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय,

(जयदीप दास)
उपायुक्त

संलग्नकः– यथोपरि।

प्रतिलिपिः–

के0वि0सं0(क्षे0का0), आगरा के सभी अधिकारियों/अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

उपायुक्त

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान जिन महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखकर हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है उनकी सूची:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को हिन्दी के प्रयोग प्रयोजन हेतु राजभाषा नियम–1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करवाना और अनुभागों/कर्मचारियों को नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना।

2. क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है।

3. हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जो हिन्दी में काम करते हैं और जो हिन्दी में काम नहीं करते उनके विशेष कारणों का उल्लेख।

4. कार्यालय में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों/टाईपिस्टों/आशुलिपिकों की कुल संख्या और उनमें से कितने कर्मचारियों ने हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा कितने प्रशिक्षण हेतु शेष रहे हैं उनके कारणों का उल्लेख।

5. यांत्रिक सुविधाएँ–वर्तमान में कुल कितने टाईपराईटर, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक टाईपराईटर प्रयोग में लाए जा रहे हैं और कितने देवनागरी टाईपराईटर अथवा अन्य कितने यन्त्र द्विभाषी हैं।

6. क्या कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को आवश्यकतानुसार शब्दकोश, प्रशासन शब्दावली, अन्य सहायक साहित्य इत्यादि उपलब्ध करवाया गया है अथवा नहीं, यदि हॉ तो उनकी संख्या।

7. कार्यालय द्वारा निर्धारित कुल फॉर्मों की संख्या तथा उनमें से कितने द्विभाषी करवा लिए गए हैं।

8. कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रजिस्टरों की कुल संख्या इस जानकारी के साथ कि क्या उसमें प्रविष्टियॉ हिन्दी में की जा रही हैं अथवा नहीं और उनके ऊपर शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखे गए हैं अथवा नहीं।

9. सेवा–पुस्तिकाओं की कुल संख्या इस जानकारी के साथ कि क्या उनमें प्रविष्टियॉ हिन्दी में नियमानुसार की जा रही हैं या नहीं।

10. प्रयोग में लाए जाने वाले लोगो/मोनोग्राम/चार्ट/नक्शों की कुल संख्या इस वृत्त के साथ कि उनमें से कितने हिन्दी के और कितने अँग्रेजी के हैं।

11. कार्यालय में प्रयोग में लाई जाने वाली रबड़ की मोहरें/नामपट्ट इत्यादि की कुल संख्या और उनमें से कितनी द्विभाषी/अंग्रेजी रूप में हैं।

12. मानक मसौदों/कोड इत्यादि की कुल संख्या जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं और उनमें केवल अँग्रेजी में, हिन्दी में और द्विभाषिक रूप में कितने हैं।

13. निरीक्षण की तिथि से 6 माह पूर्व कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में और कितने पत्रों के उत्तर अँग्रेजी में दिए गए।

14. निरीक्षण की तिथि से 6 माह पूर्व कार्यालय द्वारा भेजे गए कुल पत्रों की संख्या और उनमें से केवल हिन्दी में और केवल अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की अलग–अलग कुल संख्या।

15. निरीक्षण की तिथि से 6 माह पूर्व राजभाषा अधिनियम 1963 की धार 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए गए दस्तावेजों की कुल संख्या और उनमें कितने हिन्दी, अँग्रेजी और द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

16. अखिल भारतीय स्तर के कुल कितने विज्ञापन जारी किए गए और उनमें से हिन्दी, अँग्रेजी और द्विभाषी रूप में कितने थे।

17. क्या क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय विद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो चुका है और प्रत्येक तिमाही में इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं अथवा नहीं।

18. पिछले एक वर्ष के दौरान हुई बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों की कुल संख्या और उनमें से कितनों की कार्यसूची/कार्यवृत्त इत्यादि हिन्दी/द्विभाषी में तैयार किए गए।

19. हिन्दी टिप्पण और आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का वृत्त जानकारी।

20. वर्ष के दौरान आयोजित समारोहों के लिए निमन्त्रण पत्र इत्यादि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ–साथ जारी किए गए अथवा नहीं।

21. वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की खरीद पर किया गया कुल व्यय और उसमें से हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कितने प्रतिशत व्यय किया गया।

22. वर्ष के दौरान सभी प्रकार की प्रकाशन सामग्री क्या राजभाषा नियमानुसार द्विभाषी रूप में प्रकाशित करवाई गई।

23. क्षेत्रीय कार्यालय/विद्यालय की वैबसाइट द्विभाषी रूप में तैयार करवा ली गई है अथवा नहीं। यदि नही तो कब तक करवा ली जायेगी।

24. राजभाषा नियमों/अनुदेशों के समुचित अनुपालन के लिए क्या जॉच बिन्दु (**Check Points**) बनाए गए हैं । यदि नहीं, तो उसके कारण।

....